राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.4 ( ) परावि / एस.बी.एम(जी) / शौचा.अनि. / 17–18 / 6659 जयपुर, दिनांक : 16/5/2017

जिला कलक्टर
जिला करौली, राजसमंद, प्रतापगढ,
बाडमेर, उदयपुर एवं दौसा ।

विषय :– वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार जिले को ओडीएफ कराने के संदर्भ में।

प्रसंग :– उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.05.2017 के निर्देशानुसार ।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत राज्य वर्ष 2017–18 तक मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार समस्त जिलों को ओडीएफ कराने हेतु निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) कृत संकल्पित है। श्री सी. एस. राजन, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.05.2017 को समस्त जिलों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमें यह ध्यान में आया है कि आपके जिलों को त्वरित गति से जिलों को खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राजस्थान के अन्य जिले जो कि खुलें में शौच से मुक्त हो चुके है, उनके साथ आपके जिले को सम्बद्ध करने के निर्देश उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये गये है। इस क्रम में निम्न प्रकार आपके जिले को बेहतर समन्वयन, सुझाव, विचार–विमर्श, आपसी स्वच्छा ग्रहियों का आदान प्रदान, एसआरजी डीआरजी के सहयोग एवं विशेष तौर से ओडीएफ हुये जिले की विशेष तकनीक, अभिनव प्रयोग इत्यादि को साझा कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार समबद्ध किया जाता है।

क्र सं	जिले का नाम	स्मबद्ध जिले का नाम
1	करौली	चूरू
2	राजसमंद	अजमेर
3	प्रतापगढ	बीकानेर
4	बाडमेर	पाली
5	उदयपुर	चित्तौडगढ
6	दौसा	झुंझुनू

खुले में शौच से मुक्त जिलों के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) कर्मी यथा जिला / ब्लॉक समन्वयक, एमआईएस ऑपरेटर, डीआरजी, एसआरजी आदि दिनांक 22.05.2017 से 26.05.2017 तक समबद्ध जिलों में कैंम्प कर समस्त गतिविधियों में सक्रिय सहयोग प्रदान करेगें एवं सहयोग दिये जा रहे जिलों में समस्त पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों, सरपंचो, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों, कनिष्ठ लिपिकों की जिले में ब्लॉकवार कार्यशालाएं आयोजित करवायेगें, किये गये कार्यों की प्रतिदिन निदेशालय द्वारा समीक्षा की जावेगी।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ राजस्थान

अतः उपरोक्तानुसार आपसी सहयोग एवं सामन्जस्य के साथ सफल तकनीकों को अपनाते हुये निश्चित समय एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामुहिक प्रयास करें क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा कलक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री महोदया द्वारा स्वयं की जावेगी।

15/5

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ :—

1. निजी सचिव, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री सलाहकार समिति राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परावि।
4. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद संबंधित।
5. जिला परियोजना समन्वयक संबंधित।
6. रक्षित्र पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त